

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1782 /2022

दिनांक : 31.05.2022

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11.(3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 सपत्तित राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000 से दो वर्षों के प्रत्येक ब्लाक में अधिकतम 30 दिवस के उपाजित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपाजित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है। जिसकी प्रविष्टी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या	ब्लॉक वर्ष	समर्पित अवकाश की दिनांक
1	श्री शक्ति सिंह (RJ0533), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-10, जयपुर महानगर-II (मुख्यालय-चौगू)।	30	2022-2024	01.04.2022


आज्ञा से,

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)  
दिनांक : 31.05.2022

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/48/2005/ 4086

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शारदा राविव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II।
3. श्री शक्ति सिंह (RJ0533), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-10, जयपुर महानगर-II (मुख्यालय-चौगू)।

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)  
30/5/2022